

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि २६ मार्च, १९७६ ई०

विषय—सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४(२) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर।

पृष्ठ

१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : १७ एवं १८

२—६

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : ६०८, ६१०, ३१२, ६१५—६२२, ६२४, ६२९—६३१, ६३३, ६३५, ६३७, ६३९, ६४२, ६४३, ६४८, ६५०, ६५२, ६५३, ६५६, ६५८, ६६०, ६६३, ६६५, ६७०, ६७५, ६७६, ६८०, ६८५।

६—४६

परिशिष्ट १ एवं २ (प्रश्नों के लिखित उत्तर)

४७—१६३

दैनिक निबन्ध

१६५—१६६

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है, उनके नाम के आगे (❖) चिह्न लगा दिया गया है।

समय मैनाही टोला के विद्यालय को सहरसा जिलान्तर्गत नहीं लेकर, दरभंगा जिला में ही रखा गया। इस ग्राम में निम्न प्राथमिक विद्यालय नहीं है। यहाँ के छात्र निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, जहाँ छात्रों को पढ़ने में कोई असुविधा नहीं है।

(२) जब विद्यालय ही नहीं है, तब शिक्षकों के पदस्थापन एवं भवन निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) उपर्युक्त प्रश्न के खण्डों के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उत्तम लाल यादव—अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ कन्फ्यूजन सरकार का है। सवाल यह है कि दरभंगा जिला से सहरसा जिला में आने के बाद भी उस टोले का पुराना नाम मैनाही ही रखा गया है।

अध्यक्ष—आपका क्या ख्याल है कि अभी कन्फ्यूजन हो रहा है या पहले से ही कन्फ्यूजन था।

श्री उत्तमलाल यादव—उत्तर में कन्फ्यूजन है, चूँकि पुनर्वास होने पर भी उसका नाम मैनाही टोला ही रखा गया है।

अध्यक्ष जवाब की कमी को देखकर मैं आपको राय देता हूँ कि आपकी नजर में जो कन्फ्यूजन हो गया है, वह लिखित रूप से मंत्री महोदय को दे दें और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि कन्फ्यूजन छुड़ाने के लिये समुचित कार्रवाई करें।

तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ एवं ६१४ के सम्बन्ध में

डा० रामराज प्रसाद सिंह—तारांकित प्रश्न संख्या ६१३ के लिये समय चाहिये।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा—तारांकित प्रश्न संख्या ६१४ के लिये समय चाहिये, कारण कि इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को कोई सूचना नहीं है; लेकिन, इस प्रश्न की प्राप्ति के बाद विभाग ने अनुमंडल पदाधिकारी, घालभूम और उपायुक्त, सिंहभूम से लिखित सूचना माँगी है, इसलिये मैं समय की माँग करती हूँ। सामग्री आने पर तिथि ३०-३-७६ को मैं जवाब दूँगी।